



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

28 पौष, 1944 (श०)

संख्या - 24 राँची, बुधवार,

18 जनवरी, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

2 दिसम्बर, 2022

संख्या-5/आरोप-1-34/2019-18326 (HRMS)—मो० असलम, झा०प्र०से० (द्वितीय 'सीमित' बैच, गृह जिला-चतरा), तत्कालीन अंचल अधिकारी, कांडी, गढ़वा के विरुद्ध उपायुक्त, गढ़वा के पत्रांक-191/स्था०, दिनांक 12.04.2019 द्वारा प्रपत्र-क में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें इनके विरुद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं-

आरोप सं०-1- मो० असलम, तत्कालीन अंचल अधिकारी, काण्डी दिनांक-08.11.2018 से 13.12.2018 तक कर्तव्य से अनुपस्थित थे। इतनी अवधि का अवकाश सक्षम प्राधिकार से ही स्वीकृत किया जा सकता है एवं स्वीकृति के पश्चात निर्गत वेतन पूर्जा के आधार पर ही वेतन की निकासी की जा सकती थी। परन्तु मो० असलम, तत्कालीन अंचल अधिकारी, काण्डी द्वारा अपने पद का दुरुपयोग एवं वित्तीय अनुशासनहीनता बरतते हुए उक्त अनुपस्थिति अवधि का वेतन की निकासी बिना सक्षम स्तर से स्वीकृति के ही स्वयं कर ली गई ।

आरोप का विवरण- मो० असलम, तत्कालीन अंचल अधिकारी, काण्डी दिनांक-08.11.2018 से 13.12.2018 तक कर्तव्य पर उपस्थित नहीं थे। इनकी अवधि का अवकाश उपार्जित अवकाश की श्रेणी का है। इनके कर्तव्य से अनुपस्थिति के दौरान कार्यहीन में निर्गत कार्यालय आदेश ज्ञापांक 504/स्था०, दिनांक-16.11.2018 के आलोक में इन्होंने अपना प्रभार सुपूर्द किया था ।

अवकाश के बाद प्रभार ग्रहण करने संबंधी आदेश ज्ञापांक 555/स्था०, दिनांक-13.12.2018 द्वारा निदेशित था कि प्रभार ग्रहण की तिथि तक का अवकाश सक्षम स्तर से स्वीकृत होने के पश्चात ही अवकाश अवधि का वेतन जारी होगा। परन्तु मो० असलम ने 08.11.2018 से 13.12.2018 तक की अवधि का अवकाश की स्वीकृति हेतु आवेदन सक्षम स्तर पर प्रेषित नहीं किया। साथ ही निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं होने के कारण वित्तीय नियमों के विपरीत इस अवधि के वेतन की निकासी भी कर ली। उन्होंने उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना की है एवं स्वेच्छाचारिता बरती है।

आरोप सं०-2- मो० असलम, तत्कालीन अंचल अधिकारी, काण्डी का यह कृत्य सरकारी सेवक आचार नियमावली का उल्लंघन है।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-4598, दिनांक 12.06.2019 द्वारा मो० असलम से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। इसके अनुपालन में मो असलम के पत्र, दिनांक 27.06.2019 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। मो० असलम के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-6800, दिनांक 28.08.2019 द्वारा उपायुक्त, गढ़वा से मंतव्य की माँग की गयी। उपायुक्त, गढ़वा के पत्रांक-493/स्था०, दिनांक 30.09.2019 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया।

मो० असलम के विरुद्ध आरोप, इनका स्पष्टीकरण एवं इनके स्पष्टीकरण पर उपायुक्त, गढ़वा से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०-5661(HRMS), दिनांक 05.06.2020 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। संचालन पदाधिकारी-सह-विभागीय जाँच पदाधिकारी के पत्रांक-897, दिनांक 29.12.2020 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोपी पदाधिकारी के बचाव बयान को स्वीकार योग्य प्रतिवेदित करते हुए इनके विरुद्ध प्रपत्र-‘क’ में गठित आरोप प्रमाणित नहीं होता है, प्रतिवेदित किया गया।

मो० असलम के विरुद्ध आरोप, विभागीय कार्यवाही के दौरान इनके द्वारा समर्पित बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत विभागीय जाँच-सह-संचालन पदाधिकारी से असहमति अंकित करते हुए मो० असलम के विरुद्ध आरोप पत्र में अंकित दोनों आरोप क्रम सं०-1 एवं 2 को प्रमाणित मानते हुए झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv)लघु दण्ड अन्तर्गत असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि रोक का दण्ड प्रस्तावित किया गया है।

उक्त प्रस्तावित दण्ड पर विभागीय पत्रांक-3700, दिनांक 17.06.2022 एवं स्मार पत्र द्वारा मो० असलम से द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गयी, जिस पर उनके पत्रांक-120, दिनांक 14.07.2022 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित किया गया है, जिसमें निम्नलिखित तथ्यों का उल्लेख किया गया है-

- (i) दिनांक 08.11.2018 से 13.12.2018 तक कर्तव्य पर उपस्थित नहीं रहते हुए बिना अवकाश स्वीकृति के वेतन निकासी के संबंध में कहना है कि यह आरोप गलत है।
- (ii) दिनांक 08.11.2018 से 10.11.2018 तक आकस्मिक अवकाश उपायुक्त, गढ़वा द्वारा Grant किया गया है। चिकित्सा कारण से 13.11.2018 तक रूकना पड़ा, जिसकी सूचना 13.11.2018 को What's app के माध्यम से दी गई है। दिनांक 14.11.2018 को मुख्यालय वापस आ गया।
- (iii) उपायुक्त, गढ़वा के ज्ञापांक-504/स्था०, दिनांक 16.11.2018 के अनुपालन में ज्ञापांक-403, दिनांक 17.11.2018 द्वारा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कांडी को प्रभार दिलाया गया।

(iv) दिनांक 20.11.2018 को फिटनेश सर्टिफिकेट उपायुक्त के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जिसमें प्रभार दिलाने के संबंध में आश्वासन दिया जाता रहा ।

(v) उपायुक्त, गढ़वा के ज्ञापांक-555/स्था0, दिनांक 13.12.2018 के द्वारा प्रभार पुनः प्राप्त करने का आदेश है। जबकि इसी पत्र में दिनांक 05.12.2018 को अवकाश उपयोग के पश्चात् कार्य पर लौट आना बताया गया है। मुझसे प्रभार लेने के कारण स्वास्थ्य की समस्या बताया गया है जबकि मैंने 20.11.2018 को फिटनेश प्रमाण पत्र समर्पित कर दिया था। किस आधार पर मुझे अवकाश में समझा गया इस संबंध में किसी प्रकार का आदेश/पत्रादि प्रस्तुत नहीं किया गया ।

(vi) उनके द्वारा प्रस्तुत फिटनेश प्रमाण पत्र स्वीकृत नहीं करने संबंधी कोई पत्रादि प्रस्तुत नहीं है। दिनांक 05.12.2018 को कार्य पर लौट आने की बात की गई है परन्तु 10.11.2018 से 13.12.2018 के अवधि का वेतन निकासी का आरोप है ।

(vii) मैं दिनांक 08.11.2018 से 13.11.2018 तक आकस्मिक अवकाश में था। उसके पश्चात् लगातार मुख्यालय में बना रहा। इस अवधि में प्रभार से संबंधित आश्वासन रोजना उपायुक्त महोदय द्वारा दिया जाता था ।

(viii) मेरे द्वारा दिनांक 17.11.2018 को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कांडी का प्रभार सौंपना, दिनांक 20.11.2018 को फिटनेश प्रमाण पत्र उपायुक्त के समक्ष प्रस्तुत करना, ज्ञापांक-555, दिनांक 13.12.2018 के द्वारा 05.12.2018 को कार्य पर लौटना दर्शाता है कि मैं अवकाश में नहीं था बल्कि मुख्यालय में लगातार बना रहा ।

(ix) उक्त अवधि में स्थापना उप समाहर्ता, गढ़वा और कोषागार पदाधिकारी, गढ़वा के प्रभार में एक ही पदाधिकारी राष्ट्रीय बचत पदाधिकारी, गढ़वा थे। ये कैसे संभव है कि उनके स्थापना से पत्राचार हो और वही विपत्र को पारित करने में अनदेखी कर दें ।

मो० असलम के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं इनके द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि मो० असलम द्वारा अपने द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर में उन्हीं तथ्यों को रखा गया है, जो उनके द्वारा विभागीय जाँच पदाधिकारी के समक्ष रखा गया था। इसके अतिरिक्त मो० असलम द्वारा कोई नया तथ्य समर्पित नहीं किया गया है और विभागीय पत्रांक-3700, दिनांक 17.06.2022 द्वारा पूछे गये द्वितीय कारण पृच्छा में अंकित बिन्दुओं पर भी उत्तर उपलब्ध नहीं कराया है ।

मो० असलम द्वारा दिनांक 17.11.2018 को अंचल अधिकारी, कांडी का प्रभार प्रखंड विकास पदाधिकारी, कांडी को सौंपा गया एवं दिनांक 14.12.2018 को पुनः अंचल अधिकारी, कांडी का प्रभार ग्रहण किया गया। स्पष्ट है कि इस अवधि में मो० असलम अंचल अधिकारी, कांडी के प्रभार में नहीं थे ।

वेतन नामावली पंजी से स्पष्ट है कि मो० असलम द्वारा उक्त अवधि के वेतन की निकासी स्वयं कर ली गई है, जबकि नियमतः प्रभार विहीन अवधि का सक्षम प्राधिकार से विनियमन/अवकाश स्वीकृति एवं उक्त अवधि के वेतन पुर्जा के आधार पर ही वेतन की निकासी की जानी चाहिए थी ।

उपायुक्त, गढ़वा के ज्ञापांक-504/स्था० दिनांक 16.11.2018 में निदेश दिया गया था कि मो० असलम का दिनांक 10.11.2018 के प्रभाव से वेतन निकासी पर विधिवत् अवकाश सक्षम प्राधिकार से स्वीकृत होने तक रोक रहेगी, किन्तु उक्त आदेश की अवहेलना करते हुए उनके द्वारा

बिना अवधि विनियमन/अवकाश स्वीकृत कराये निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के पद का दुरुपयोग करते हुए वेतन की निकासी कर ली गई ।

संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने मंतव्य में अंकित किया गया है कि मो० असलम दिनांक 12.12.2018 एवं 09.1.2019 को मुख्यालय में आयोजित बैठकों में उपस्थित रहे। उक्त बैठकों में उनकी उपस्थिति अंचल अधिकारी, कांडी के रूप में दर्ज है। मो० असलम दिनांक 14.12.2018 को पुनः अंचल अधिकारी, कांडी का प्रभार ग्रहण किया गया तो किस प्रकार उनके द्वारा दिनांक 12.12.2018 को मुख्यालय की समीक्षात्मक बैठक में भाग लिया गया, स्पष्ट नहीं है ।

अतः समीक्षोपरांत, मो० असलम, झा०प्र०से०, तत्कालीन अंचल अधिकारी, कांडी, गढ़वा द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकार करते हुए आरोप पत्र में अंकित दोनों आरोप क्रम सं०-1 एवं 2 को प्रमाणित मानते हुए उनके विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv)लघु दण्ड अन्तर्गत असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति मो० असलम, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
	MD. ASLAM JHK/JAS/221	मो० असलम, झा०प्र०से० (द्वितीय 'सीमित' बैच, गृह जिला-चतरा), तत्कालीन अंचल अधिकारी, कांडी, गढ़वा के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के अन्तर्गत असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,
सरकार के संयुक्त सचिव
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/3601
